संख्या-8/2017/188/55-पर्या-2017-49(पर्या)/2015

प्रेषक,

श्री संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0।

3- निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
उ0प्र0।

5- नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम, उ0प्र0/
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद
नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय
निकाय, उ0प्र0)/छावनी परिषद, उ0प्र0।

6- सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 01 मई, 2017

विषय-रिट याचिका नोटिस सं0-11759/2015 श्री देवाशीष मित्रा बनाम् राज्य व अन्य तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या-384/2016 एवं 442/2016 खालिद अशरफ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण अनुभाग के शासनादेश संख्या-10/2016/69/55-पर्या -16-49(पर्या)/15, दिनांक 02 मार्च, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा सिविल मिस रिट याचिका (नोटिस संख्या-11759/2015) श्री देवाशीष मित्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.04.2015 के अनुपालन हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-5 के अंतर्गत जनहित में निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

"उ0प्र0 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु चीन में निर्मित मांझों का प्रयोग, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाता है। "

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- सिन्थेटिक मांझा/नायलान पतंग डोरी के निर्माण, प्रयोग, बिक्री एवं क्रय को रोके जाने आदि के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या-384/2016 एवं 442/2016 खालिद अशरफ बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-12-2016 का प्रभावी अंश निम्नवत् हैं:-

"We hereby direct that in the entire country there shall be prohibition on procuring, stocking, sale and use of Nylon thread which is also called Chinese Dori or Chinese manjha and other synthetic threads coated with glass and such other harmful substances for kite flying.

We make it clear that the cotton thread other than aforesaid threads could be used for kite flying. We also make it clear that even the cotton thread which is glass coated or coated with other harmful material will also not be permitted to be used for kite flying, till the next date of hearing.

In the meanwhile, we direct Central Pollution Control Board to submit a report as to whterher Nylon thread of any ply claimed to biodegradable is actually so. Also what standards of tensile strength, thickness or other parameters should be prescribed for the manjha used for kite flying. All the parties concerned may provide samples of their threads to the Learned Counsel appearing for the Central Pollution Control Board, within one week from today. ....."

3- प्रश्नगत विषय पर ही मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या-58620/2015 अनुराग मिश्रा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-11-2015 का प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

"We clarify that by this order we are not imposing any ban on the flying of kites but are issuing necessary directions so that such material which causes grave danger to human beings, animals and birds as the petitioner has highlighted is not used. The danger and problem is not confined to Allahabad. Apart from the district of Allahabad, if the Principal Secretary (Home) shall issue a communication to the Collectors of each district containing directions in implementation of this order. The directions contained in this order are not intended to be an exhaustive

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

catalogue. The State Government shall adopt all appropriate steps for enforcement in accordance with law, including necessary steps to prohibit manufacture, use and sale of "Chinese Manjha" in any form whatsoever."

4- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-12-2016 एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-11-2015 के अनुपालन हेतु एतद्द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनहित में निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

''उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री को, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाता है।''

5- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।